

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा

अनुवान किशन लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या -266/2025

निर्णय दिनांक 03/07/2025

निराण सिंह पुत्र भूर सिंह जाति राजपूत निवासी भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 152 खसरा नं. 1418/174 तादादी 1.0116 हैक्ट., खसरा नं. 1424/343 तादादी 1.9979 हैक्ट., खसरा नं. 351 तादादी 0.6575 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम भाड़ंग में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम नारायणसिंह दर्ज है जो कि गलत है सही नाम निराण सिंह है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम निराण सिंह किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम भाड़ंग तहसील तारानगर के खाता संख्या 152 खसरा नं. 1418/174 तादादी 1.0116 हैक्ट., खसरा नं. 1424/343 तादादी 1.9979 हैक्ट., खसरा नं. 351 तादादी 0.6575 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नारायणसिंह Delete कर इसके स्थान पर निराण सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/07/25 को कैम्प कोर्ट रैयाटुण्डा में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra*  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)